राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3947/2025

शर्मिला

–अपीलार्थी

बनाम

सचिव, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.08.2025
सुनवाई की दिनांक : 11.09.2025
आदेश की दिनांक : 11.09.2025
<u>उपस्थित –</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री शैलेन्द्र बलवदा, अधिवक्ता
समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी आदेश दिनांक 22.07.2025 को चुनौती दे रहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थिया, जो कि अध्यापक लेवलं–2, हिन्दी, के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, कुम्हारों का बास, खण्ड सूरजगढ, जिला झुन्झुनू, (राजस्थान) में कार्य कर रही हैं, का स्थानान्तरण राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, खानपुर मेहराणा, जिला झुन्झुनू राजस्थान कर दिया गया है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थिया का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 16.07.2025 की अनुपालना में जिलें में संचालित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में चयनित कार्मिकों के कार्यग्रहण कर लेने के पश्चात अधिशेष व अचयनित कार्मिकों का लेवलवार एवं विषयवार समायोजन किया गया है तथा महात्मा गांधी विद्यालयों में चयनित कार्मिकों के पदस्थापन के कारण अधिशेष हुए कार्मिकों के संबंध में दिनांक 16.07.2025 को निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये तथा उक्त दिशा, निर्देशों में अधिशेष कार्मिकों के समायोजन बाबत स्पष्ट निर्देश दिये गये कि सर्वप्रथम अधिशेष कार्मिक को रिक्त पद होने पर राजस्व ग्राम में तथा राजस्व ग्राम में रिक्त पद नहीं होने की स्थिति में ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत में रिक्त पद नहीं होने की स्थिति में ब्लॉक में रिक्त पद पर यथासंभव विद्यालय के निकटतम ब्लॉक में समायोजन/पदस्थापन किया जावेगा। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थिया ने स्वयं का पदस्थापन निकटतम ब्लॉक सूरजगढ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धिंगडिया में किये जाने बाबत अभ्यावेदन आदेश दिनांक 27.07.2025 की पालना में जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, झुन्झुनू को दिनांक 28.07.2025 को प्रस्तुत किया।

(अनुलग्नक–3,4 व 5) अपीलार्थिया की परिवेदना पर विचार किये बिना ही अपीलार्थिया की परिवेदन को निरस्त कर दिया। जबकि अन्य कार्मिकों की परिवेदना का विधिवत निस्तारण किया गया है तथा कार्मिकों को निकटतम स्थान पर पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थिया के वर्तमान पदस्थापित ब्लॉक सूरजगढ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धिंगडिया में हिन्दी विषय का लेवल–2 पद शालादर्पण में भी दिनांक 01.08.2025 को रिक्त दर्शाया गया है। तथा परिवेदना निस्तारित करने की अंतिम दिनांक आदेश दिनांक 08.08.2025 के द्वारा दिनांक 12.08.2025 नियत की गई थी। कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत परिवेदना दिनांक 12.08.2025 को निस्तारित की गई है। (अनुलग्नक–6,7 व 8) अपीलार्थिया ने दिनांक 26.07.2025 को कार्यमुक्त होकर दिनांक 26.07.2025 को ही नव पदस्थापित स्थान पर कार्य ग्रहण कर लिया है। (अनुलग्नक–9 व 10)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 22.07.2025 (अनुलग्नक–1) को निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थिया को वर्तमान पदस्थापित खण्ड के रिक्त पद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धिंगडिया, खण्ड सूरजगढ, जिला झुन्झुनू (राजस्थान) में ही अध्यापक लेवल–2. हिन्दी के पद पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जावे तथा अपीलार्थिया के अभ्यावेदन को विधिवत निर्देश दिनांक 16.07.2025 की पालना में निस्तारित किया जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को आलौच्य आदेश दिनांक 22.07.2025 द्वारा महात्मा गांधी विद्यालयों में चयनित कार्मिकों को कार्यग्रहण कर लेने के कारण महात्मा गांधी विद्यालयों में अचयनित कार्मिकों का अधिशेष होने के कारण पदस्थापन किया गया है। अपीलार्थी का मुख्य कथन यह है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा महात्मा गांधी विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के संबंध में दिनांक 16.07.2025 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किए गए। (अनुलग्नक–2) जिसमें बिंदू संख्या 10 में यह निर्देश है कि अधिशेष कार्मिकों/शिक्षकों का समायोजन रिक्तियों के निम्नाकिंत क्रम में किया जावेः–

(i). उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त होने पर

(ii). उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त नहीं होने पर, उसी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में पद रिक्त होने पर

(iii). ग्राम पंचायत में पद रिक्त होने पर, उसी ब्लॉक में स्थित अन्य विद्यालय में रिक्त पद पर

(iv). संबंधित ब्लॉक में पद रिक्त नहीं होने पर जिले के अन्य ब्लॉक के विद्यालय में रिक्त पद पर। यथासंभव निकट के ब्लॉक के विद्यालय में।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान ब्लॉक सुरजगढ़ के बजाय सिंघाना ब्लॉक में पदस्थापित किया है, जो विभागीय निर्देशों के विपरित होने के आधार पर इस अपील में चुनौती दी गई है।

अपीलार्थी द्वारा अपील में सुरजगढ़ ब्लॉक में धिंगड़िया में पद रिक्त होने का अंकन किया गया है एवं इस विद्यालय में पदस्थापन करने हेतु अभ्यावेदन देना अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय धिंगड़िया में आलौच्य आदेश जारी किए जाने के दिवस को पद रिक्त नहीं था। यह पद आलौच्य आदेश जारी होने के पश्चात सेवानिवृत्ति से रिक्त होना पाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि आलौच्य आदेश जारी होने की दिनांक को सुरजगढ़ ब्लॉक में कोई पद रिक्त नहीं था, जहां अपीलार्थी को समायोजित किया जा सकता हो। विभागीय निर्देशों के अनुरूप अपीलार्थी को निकट के ब्लॉक सिंघाना में समायोजित/पदस्थापित किया है और अपीलार्थी द्वारा नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण किया चुका है। अतः हम आलौच्य आदेश में कोई नियम विरूद्धता नहीं पाते है।

अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने के आधार पर खारिज की जाकर स्थगन प्रार्थना पत्र इसी प्रक्रम पर निस्तारित किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष